आदेश अधीन धारा 3 आफ पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाउन एण्ड पैट्रोल एक्ट 1918

विश्व स्वास्थ्सय संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है जिसके संदर्भ में बचाव एवं रोकथाम हेतू सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में दिनांक 14.04.2020 तक लॉक डाउन का एलान किया गया है उक्त लॉक डाउन को मद्देनजर तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग चण्डीगढ़ द्वारा जारी पत्र Memo No. ER-DMC-PO-III-2020/ Spl-III Chandigarh, dated31.03.2020 व U.O. No. DMC-PO-IIII-2020 के दृष्टिगत कोविड–19 के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए व उक्त महामारी से बचाव हेतु नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला में सभी गांवों, कस्बों, शहरों आदि तथा नहरी व सिंचाई विभाग को भी निर्देश दिए जाते है कि वे कुरूक्षेत्र जिले में पड़ने वाली नहरों तथा नदियों पर अपने फिल्ड सटाफ की ड्यूटि लगााए तथ यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी बाहरी क्षेत्र से लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति कुरूक्षेत्र जिले के किसी भी गांव में प्रवेश न करें। उक्त के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना/अनचाही गतिविधि होती है तो उसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन पर दें। इसके अतिरिक्त अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति अवैध तरीके से कुरूक्षेत्र जिले के किसी भी गांव की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे पुलिस के हवाले करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत **मै, धीरेन्द्र खड़गटा,भा.प्र.से., जिलाधीश, कुरूक्षेत्र** दि पंजाब विलेज एण्ड समाल टाउन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 (1)व 4 के अधीन निहित शाक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों को डयूटी दिन-रात के लिये लगाता हूं कि वह अपने क्षेत्र में नागारिकों की जान-माल की सुरक्षा एवं बचाव हेतू ठीकरी पहरा देगें ताकि कोई वारदात न होने पाए तथा सभी नहरी व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देता हूँ कि वे अपने फील्ड स्टाफ की ड्यूटी नहरों व नदियों पर लगाएं ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति कुरूक्षेत्र जिले के गांवों की सीमा में प्रवेश न कर सके। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता काडा/कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग/ जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/ खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ ग्राम पंचायत/ लोकल बाडिज की होगी । यह आदेश दिनांक 31.03.2020 से आगामी आदेशों तक लागू रहेगें ।

इन आदेशों का व्यापक रूप से प्रचार जिला सूचना एंव लोक सम्पर्क अधिकारी/तहसील/लोकल बॉडीज/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा ग्राम पंचायतें करेगी ।

इन आदेशों की उल्लघंना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दी पंजाब विलेज एण्ड समाल टाउन एण्ड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कुरूक्षेत्र को भेजकर निर्देश दिए जाते है कि वे वे प्रतिदिन 14.04.2020 तक गांव के नम्बरदार/चौकीदार से रिपोर्ट प्राप्त करके ई-मेल covid-19.sdma@gmail.com द्वारा सीधे सरकार को भिजवाते हुए इस कार्यालय को भी सूचित करें।

यह आदेश आज दिनांक 01-04-2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक सहित जारी हुए ।

जिलाधीश, कुरूक्षेत्र ।

पृ.क्रमांक 7794-7845/एम.ए.II दिनांक 01-04-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ ।
2. वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग/राजस्व विभाग, चण्डीगढ ।
3. वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, चण्डीगढ को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक Memo No. ER-DMC-PO-III-2020/ Spl-III Chandigarh, dated 31.03.2020 व U.O. No. DMC-PO-IIII-2020 के सन्दर्भ में।
4. आयुक्त, अम्वाला मण्डल, अम्बाला ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, अम्बाला रेंज, अम्बाला छावनी ।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र ।
7. हरियाणा के सभी जिलाधीश ।
8. अतिरिक्त उपायुक्त, कुरूक्षेत्र ।
9. पुलिस अधीक्षक, कुरूक्षेत्र ।
10. उपमण्डल अधिकारी (ना.), थानेसर/पिहोवा/शाहाबाद/लाडवा ।
11. जिला राजस्व अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
12. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
13. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार ।
14. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
15. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, थानेसर
16. सचिव नगरपालिका, पेहवा/शाहाबाद/लाडवा/इस्माईलाबाद ।
17. जिला में स्थित सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी ।
18. आशुलिपिक उपायुक्त/नगराधीश ।

जिलाधीश, कुरूक्षेत्र ।

Scanned by CamScanner